

बिहार सरकार

वित्त विभाग

अ धि सू च ना

पटना दिनांक-16-07-2024

सं०-एम-4-03/2021-7617/वि०, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-131ख में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

(1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन के तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-131ख को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"राज्य सरकार बिहार राज्य में अवस्थित औद्योगिक इकाईयों/उद्यम से वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु खरीद अधिमानता नीति से संबंधित प्रावधानों को अधिसूचित कर सकेगी।

ऐसी खरीद अधिमानता नीति के प्रावधानों का राज्य सरकार द्वारा इस सदर्भ में अधिसूचित एवं प्रवृत्त सभी प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव होगा।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन)

पटना, दिनांक-16-07-2024

ज्ञापांक:-एम-4-03/2021-7617/वि०

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, धीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव (संसाधन)

पटना, दिनांक-16-07-2024

ज्ञापांक:-एम-4-03/2021-7617/वि०

प्रतिलिपि:-सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव (संसाधन)

पटना, दिनांक-16-07-2024

ज्ञापांक:-एम-4-03/2021-7617/वि०

प्रतिलिपि:-ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव (संसाधन)

**Govt. of Bihar**  
**Finance Department**

**Notification**

16-07-2024  
Patna, dated.....

No.-M-4-03/2021.....7617/F. In exercise of the powers conferred under Article 283(2) of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Rule 131B of Bihar Financial Rules, 1950 (as amended from time to time):-

1. Short title, extent and commencement-
  - (1) These rules may be called The Bihar Financial (Amendment) Rules, 2024.
  - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
  - (3) It shall come into force immediately on its publication in the official gazette.
2. Rule 131B of Bihar Financial Rules, 1950 is substituted as follows:-

***"State Government may notify Purchase Preference policy related provisions for Procurement of Goods & Services from industrial units/Enterprise located within the State of Bihar..***

***Provisions of such Purchase Preference policy shall have overriding effect on all existing and notified provisions by the State Government in this regard."***

By order of the Governor of Bihar,

(Lokesh KUMAR SINGH)  
Secretary (Resource)

Patna, Dated..16-07-2024

Memo.:-M-4-03/2021.....7617/F.

Copy forwarded to:- Accountant General (A & E), Bihar, Virchand Patel Path, Patna-800001 for information and necessary action.

Secretary (Resource)

Patna, Dated.....16-07-2024

Memo.:-M-4-03/2021.....7617/F.

Copy forwarded to:- All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/All Head of Department/All Divisional Commissioner/All District Magistrate /All Treasury officer, Bihar for information and necessary action.

Secretary (Resource)

Patna, Dated..16-07-2024

Memo.:-M-4-03/2021.....7617/F.

Copy forwarded to:-e-Gazette Section, Finance Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

Secretary (Resource)